

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या- १५४ / २०१६ / १७(१२०) / XXVII(८) / २०१४
देहरादूनः दिनांक :: ०२ मार्च, २०१६
अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है।

अतएव, अब, उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम, 2015 (अधिनियम सं० २३ वर्ष २०१५) की धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) संपृष्ठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम १ वर्ष १९०४), (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त), की धारा २१ के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, सहर्ष आदेश करते हैं कि इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तिथि की अगली तिथि से, उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम, 2015 की अनुसूची III में विनिर्दिष्ट माल की प्रविष्टि पर निम्नवत् विनिर्दिष्ट उपकर के भार तथा दर पर उपकर उद्घातित तथा संग्रहित किया जाएगा—

अनुसूची-III

क्र०सं०	माल का विवरण	उपकर का भार	उपकर की 'दर
१	खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ (फार्ट फूड), पिज्जा आउटलेट्स या फ्राईड विकल आउटलेट्स द्वारा की गई विक्री, प्री पैकड ईटेबल्स, प्री पैकड सॉफ्ट ड्रिंक्स, प्रूट ड्रिंक्स, पलेवड ड्रिंक्स और बेवरेजेज जिसमें प्री पैकड लस्सी, बटरमिल्क और दूध सम्मिलित नहीं है।	विनिमाता के विन्दु पर या राज्य के बाहर से आयात किए जाने के उपरान्त राज्य में प्रथम विक्री के विन्दु पर	माल के मूल्य का दो प्रतिशत

(अमित सिंह नरी)
संचिव।

सं० १५४/२०१६/१७(१२०)/XXVII(८)/ २०१४ तददिनांक।

- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
- १—आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
 - २—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, लूडकी जिला हरिहार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये १००-१०० प्रतियों वित्त अनुभाग-८ में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
 - ३—भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
 - ४—सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
 - ५—एन०आई०सी०
 - ६—गार्ड फाईल हेतु।

अज्ञा से,
(हीरा सिंह बरेडा)
अनुसंचिव।